



प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
कैम्प...गोपालपुरा

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
30 नवम्बर 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान...गोपालपुरा.....

--:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोपालपुरा  
माजी खेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान न्याय  
नियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा  
की जनचुम्बी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 132, 129 में वर्तमान में दर्ज प्रमाण  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	गोपालपुरा	132, 129	खाता सं. 132, 129 में आवेक का नाम भूरा पुत्र जौला साकिन भगवानपुरा है।	खाता सं. 132, 129 में खातेदार का नाम भूरा पुत्र जौला साकिन भगवानपुरा के स्थान पर भूरा पुत्र जौला साकिन माजी साहब का खेड़ा किया जाता है।



(सीमा तिवारी) अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी एवं कैम्प कोर्ट  
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

दिनांक :- 10/10/2021

दिनांक :- 18.10.2021

तहसीलदार बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद  
शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।  
प्रार्थी के भूरा पुत्र जौला नि. माजी साहब का खेड़ा त. बिजौलिया, भीलवाड़ा को सूचना है।  
प्रार्थना पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
पीठासीन अधिकारी (कैम्प कोर्ट)  
उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)  
पदेन सहा.कलक्टर, सीमा तिवारी